

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

AS  
1

प्रार्थनी अधिकारी-

अमानुल्लाह खान,

आर.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

100 / प्रा0पत्र / 18

02.07.2018

19.02.2021

सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा

-प्रार्थी

बनाम

राजाराम आ0 सुखदेव जाति गुर्जर निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी

-अप्रार्थी

उपस्थित-

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार

अप्रार्थी के विरुद्ध-एकपक्षीय कार्यवाही


## निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार नैनवा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 870 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम देई आवंटन आदेश दिनांक 03.07.1999 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2002 को निर्णय पारित कर तहसीलदार नैनवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 03.07.1999 निरस्त किया गया था। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.11.2002 के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अप्रार्थी द्वारा अपील किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 14.02.2018 को निर्णय पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2002 निरस्त कर प्रकरण को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिया कि अपीलांत को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 04.01.2021 को इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस परोकार सरकार समाप्त की गई।


बहस के दौरान परोकार सरकार ने अवगत किया कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद भी आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा उक्त भूमि को आवंटन किया गया है जो विधि अनुकूल नहीं होने से अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 870 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम देई आवंटन आदेश दिनांक 03.07.1999 को निरस्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक किया जावे।

हमने बहस परोकार सरकार पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड आवंटन पत्रावली की पुस्त पर अंकित रिपोर्ट से प्रकट है

  
अति० जिला कलक्टर  
बून्दी (राज.)

उक्त आवंटन ही यह तथ्य सामने था कि आवंटित भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय प्रकरण विचाराधीन है फिर भी आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा आवंटी को भूमि का आवंटन कर दिया गया जो विधि अनुकूल नहीं था एवं अनावश्यक लिटिगेशन की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण इस न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने पर अप्रार्थी को तलब किये जाने के बावजूद भी इस न्यायालय में उनके उपस्थित नहीं आने से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि उनको आवंटित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की राहत नहीं चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 870 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम देई आवंटन आदेश दिनांक 03.07.1999 को एतद द्वारा निरस्त किया जाकर उक्त आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 19.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
अति० जिला कलेक्टर,  
बन्दी (सि०)